
GST UPDATE CBIC TO INTRODUCE AADHAR BASED GST AUTHENTICATION FROM APRIL 1, 2020

GST Council की मीटिंग में जैसा यह निर्णय लिया गया था कि आधार के verification के बाद ही GST में registration हो सकेगा | Section 25(6C) के अंतर्गत प्रदत्त पावर का इस्तेमाल करते हुए Notification No. 19/2020 dated 23.03.2020 को issue किया गया है | इसमें सभी तरह के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता , पार्टनरशिप फर्म के managing and अधिकृत पार्टनर तथा हिंदू अविभाजित परिवार के कर्ता को आधार सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा | अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसके लिए अन्य मार्ग भी सुझाया जाएगा |

धारा 25(66 बी) के तहत जारी Notification 18/2020 के तहत इसकी तिथि 1 अप्रैल 2020 नियत की गई है | इसका मतलब यह है कि Aadhar का verification, GST registration के लिए 1st अप्रैल 2020 से लागू होगा | Section 25(6D) के तहत जारी Notification 17/2020 से individual, सभी तरह के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता , पार्टनरशिप फर्म के managing and अधिकृत पार्टनर तथा हिंदू अविभाजित परिवार के कर्ता के अलावा सबको Aadhar आधारित verification से छूट होगी |

परंतु अगर किसी ऊपर लिखित व्यक्ति, जिनको Aadhar आधारित verification जरूरी है, नहीं हो पाता है तो उसके व्यवसाय के मुख्य स्थान का भौतिक सत्यापन किया जाएगा | जो कि 60 दिन में होना अनिवार्य है तथा उसके पश्चात ही अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा |

यह भौतिक सत्यापन जिसकी Risky exporters के लिए भी लागू किया गया था और अब यह नियम रजिस्ट्रेशन के लिए भी लागू हो गया है | पर सामान्यता आधार आधारित सत्यापन ज्यादातर ज्यादातर मामलों में हो ही जाएगा | इसके लिए भौतिक सत्यापन की आवश्यकता कम ही आएगी |

कोविड-19 के चलते हुए आने वाली परेशानी को देखते हुए सरकार ने PAN को आधार से link करने की आखिरी तिथि 30.06.2020 तक बढ़ा दी है | अतः आधार सत्यापन का नियम भी बढ़ा देना चाहिए |